



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082023-248262
CG-DL-E-23082023-248262

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 2023/भाद्र 1, 1945

No. 588]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 2023/BHADRA 1, 1945

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
अधिसूचना,

हैदराबाद, 22 अगस्त, 2023

बीमा सलाहकार समिति का पुनर्गठन

फा.सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./बी.स.स./6/194/2023.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के अनुच्छेद 25 के उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2000, के विनियमों 3 अ के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा बीमा सलाहकार समिति का पुनर्गठन करता है, जो राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

पुनर्गठित बीमा सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में निम्नलिखित को नियुक्त किया गया है:-

1. अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
2. जीवन बीमा परिषद की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष
3. साधारण बीमा परिषद की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष
4. निदेशक, राष्ट्रीय बीमा अकादमी
5. अध्यक्ष, भारतीय बीमांकक संस्थान
6. अध्यक्ष, भारतीय बीमा दलाल संघ
7. अध्यक्ष, भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान
8. श्री अरिजित बसु
9. श्री एल. विश्वनाथन

10. डॉ. के. श्रीनाथ रेड्डी
11. श्री एन.एस. कण्णन
12. डॉ. अजित रानडे
13. श्री धनंजय दाते
14. श्री श्रीमोहन यादव
15. सुश्री पद्मजा चुंदुरु
16. डॉ. हरि शंकर गौड़
17. श्री पी.एस. जयकुमार
18. श्री राजेंद्र बेरी

देबाशीष पण्डा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./370/2023-24]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION

Hyderabad, the 22nd August, 2023

RECONSTITUTION OF INSURANCE ADVISORY COMMITTEE

F. No. IRDAI/IAC/6/194/2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), and in terms of Regulation 3A of the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Advisory Committee) Regulations, 2000, the Authority hereby makes the following notification reconstituting the Insurance Advisory Committee which will be effective from the date of publication in the official gazette.

The following are appointed as the members of the reconstituted Insurance Advisory Committee:

1. Chairman, State Bank of India
2. Chairperson of Executive Committee of Life Insurance Council
3. Chairperson of Executive Committee of General Insurance Council
4. Director, National Insurance Academy
5. President, Institute of Actuaries of India
6. President, Insurance Brokers' Association of India
7. President, Indian Institute of Insurance Surveyors & Loss Assessors
8. Shri Arijit Basu
9. Shri L. Viswanathan
10. Dr. K. Srinath Reddy
11. Shri N.S. Kannan
12. Dr. Ajit Ranade
13. Shri Dhananjay N. Date
14. Shri Shrimohan Yadav
15. Ms. Padmaja Chunduru
16. Dr. Hari Shankar Gaur
17. Shri P.S. Jayakumar
18. Shri Rajendra Beri

DEBASISH PANDA, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./370/2023-24]